

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग


क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक 26 APR 2022

—:परिपत्र:—


विषय:— समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.12.2021 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2021 (1 जनवरी 2022 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयवाधि इस वर्ष 31 मई 2022 तक अंतिम बार बढ़ाई जाती है एवं जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थी, वे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों इस अवधि में ऑन-लाईन संशोधित IPR भर सकेंगे।


(डॉ.रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।


संयुक्त शासन सचिव


राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ () प्रशासन/आकाशि/2022/1589

दिनांक : 26.04.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
2. समस्त सहायक निदेशक कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान
3. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु


26.4.2022
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर